राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 651/2007

रमेश चन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, आर्म्ड बी., पीएचक्यू, जयपुर।
3. कमांडेण्ट, आरएसी 8th बी., गाजीपुर, दिल्ली।
4. सी/– ड्राइवर, नारायण राम नं. 234, आरएसी 8th बी. गाजीपुर, दिल्ली।
5. सी/– ड्राइवर, राकेश कुमार नं. 721, आरएसी 8th बी. गाजीपुर, दिल्ली।
6. सी/– ड्राइवर, राजेन्द्र सिंह 761, 8th बी., आरएसी, दिल्ली।
7. सी/– ड्राइवर, किशन सिंह 652, 8th बी. आरएसी, दिल्ली।
8. सी/– ड्राइवर, मंगतुराम नं. 256, 8th बी., दिल्ली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.03.2007
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम.महर्षि, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.12.2006 एवं 14.03.2000 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि तकनीकी शाखा एमटी चालक कांस्टेबल के आधार पर आरएसी में कांस्टेबल ड्राइवर की वरिष्ठता सूची तैयार की जावे और आलोच्य वरिष्ठता सूची के आधार पर जो सूची प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक एवं गैर तकनीकी शाखा आरएसी में कांस्टेबल की तैयार की गई है, के तहत हैड कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर पदोन्नति नहीं दी जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है और आदेश दिनांक 05.06.1993 के द्वारा कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर चयनित हुआ। निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत अपीलार्थी को ड्राइवर भत्ता रूपये 90 प्रतिमाह आदेश दिनांक 23.09.1995 के द्वारा दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2006 को कांस्टेबल ड्राइवर की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 319 पर दर्शाया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया कि उसका नाम उससे कनिष्ठ कार्मिकों से नीचे दर्शाया गया है जबकि अपीलार्थी उनसे पूर्व नियुक्त हुआ है। विभाग के परिपत्र दिनांक 14.03.2000 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वरिष्ठता का निर्धारण तकनीकी पद पर नियुक्ति दिनांक का ध्यान किए बिना भर्ती वर्ष/दिनांक के आधार पर किया जाएगा, जिसकी पालना में वरिष्ठता सूची दिनांक 06.03.2006 को जारी कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.12.2006 एवं 14.03.2007 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि तकनीकी शाखा एमटी चालक कांस्टेबल के आधार पर आरएसी में कांस्टेबल ड्राइवर की वरिष्ठता सूची तैयार की जावे और आलोच्य वरिष्ठता सूची के आधार पर जो सूची प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक एवं गैर तकनीकी शाखा आरएसी में कांस्टेबल की तैयार की गई है, के तहत हैड कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर पदोन्नति नहीं दी जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14.03.2000 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि कांस्टेबल चालक की वरिष्ठता का निर्धारण तकनीकी पद पर नियुक्ति दिनांक का ध्यान किए बिना भर्ती वर्ष/दिनांक के आधार पर किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा एमटी पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 26(1) के अंतर्गत तकनीकी/विशिष्ट पद घोषित किया गया था। विभाग द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय के परिपत्र के अनुसरण में जारी की गई है और आदेश दिनांक 23.12.2006 उक्त परिपत्र के अनुसरण में जारी किया गया है, जो पूर्णतया उचित और वैध है। अपीलार्थी को एमटी शाखा में भर्ती होने की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि अपीलार्थी से वरिष्ठ अन्य

कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण उक्त प्रकार से नहीं किया जा सकता। चूंकि अपीलार्थी को नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष 2 माह के पश्चात् एमटी भत्ता दिनांक 23.08.1995 को स्वीकृत किया गया है। जबकि वरिष्ठता नियुक्ति तिथि 05.06.1993 के आधार पर निर्धारित की हुई है। वरिष्ठता सूची कार्मिक की सेवा में भर्ती की तिथि के आधार पर जारी की गई है, जो पूर्णतः उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 05.06.1993 के द्वारा कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर चयनित हुआ। निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत अपीलार्थी को ड्राइवर भत्ता रूपये 90 प्रतिमाह आदेश दिनांक 23.09.1995 के द्वारा दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2006 को कांस्टेबल ड्राइवर की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 319 पर दर्शाया गया, जिसमें उसका नाम उससे कनिष्ठ कार्मिकों से नीचे दर्शाया गया है जबकि अपीलार्थी उनसे पूर्व नियुक्त हुआ है। जहां तक कांस्टेबल चालक की वरिष्ठता सूची तकनीकी पद पर नियुक्ति दिनांक से गणना न करते हुए भर्ती वर्ष/दिनांक के आधार पर किए जाने का प्रश्न है, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र दिनांक 14.03.2000 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी मार्गदर्शन/निर्देशों के अतिक्रमण में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वरिष्ठता का निर्धारण तकनीकी पद पर नियुक्ति दिनांक का ध्यान किए बिना एमटी भर्ती वर्ष/दिनांक के आधार पर किया जावेगा और कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन्स राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.12.2016 में यह उल्लेख किया गया है कि कांस्टेबल चालक पद पर कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 14.03.2000 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। इस प्रकार हमारे मत में वरिष्ठता का निर्धारण उच्च स्तर पर सक्षम अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय उपरांत ही दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं और तद्नुरूप ही कांस्टेबल चालक की वरिष्ठता सूची एमटी भर्ती वर्ष/दिनांक के आधार पर ही जारी की गई है, जिसमें हमारे विनम्र मत में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के इस

तर्क में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य